राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग
***

क्रमांक : प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक :– 7 DEC 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त नियमों के 17 के उप नियम (6–ए) के अधीन लॉटरी से निर्धारित दर पर आवंटित भूखण्डों के 10 वर्ष पूर्व हस्तान्तरण के लिए देय लेवी जो वर्तमान में निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	आवंटन की दिनांक से	दर प्रति वर्गमीटर
1	5 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 10%
2	5 से अधिक 10 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 5%

उक्त लेवी को प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 के दौरान लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए घटाकर निम्नानुसार निर्धारित करती है :–

क्रम सं.	आवंटन की दिनांक से	दर प्रति वर्गमीटर
1	5 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 5%
2	5 से अधिक 10 वर्ष तक	वर्तमान आरक्षित दर का 2.5%

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner